न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 59/2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 पदमाराम 2 हनुमानराम 3 मदनलाल पिसरान मेहराराम जाति कुमावत निवासी नारणाणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।		1 मेहराराम 2 वगताराम पिसरान ताराराम 3 मोहनराम 4 रिमर्थाराम 5 मांगाराम पिसरान सोनाराम 6 हरतु पत्नी सोनाराम जाति कुमावत निवासी नारणाणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर 7 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री देवीलाल कुमावत वकील वादीगण।

2. श्री कुमार कौशल जोशी वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 06।

निर्णय

दिनांक 18/12/20

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 स्वर्गीय ताराराम व सोनाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र होने से विधिक वारिस है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा भाडखा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 613/439 रकबा 48.17 बीघा, खसरा संख्या 620/430 रकवा 57.14 वीघा कुल रकवा 106.11 बीघा भूमि तथा मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 833/750 रकबा 116.08 बीघा भूमि तथा मौजा नारणाणियों की ढाणी पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 135/110 रकबा 89.15 बीघा भूमि तथा मौजा खारिया तला पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 751/576 रकबा 77.18 बीघा भूमि आई हुई है, उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के 1/3 हिस्से में प्रतिवादी वादीगण का हिस्सा निहित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 मेहराराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा निहित होने से सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब मय राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:02 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 मेहराराम द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 मेहराराम के साथ

सहखातेदार घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा पुत्र होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे सहखातेदार घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा के पक्ष में रहन है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा एवं अभिलेख, वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा भाडखा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 613/439 रकबा 48.17 बीघा, खसरा संख्या 620/430 रकबा 57.14 बीघा कुल रकबा 106.11 बीघा भूमि तथा मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 833/750 रकबा 116.08 बीघा भूमि तथा मौजा नारणाणियों की ढाणी पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 135/110 रकबा 89.15 बीघा भूमि तथा मौजा खारिया तला पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 751/576 रकबा 77.18 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 मेहराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 18.1.21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनुदान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 पदमाराम 2 हनुमानराम 3 मदनलाल पिसरान मेहराराम जाति कुमावत निवासी नारणाणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।		1 मेहराराम 2 भगलाराम पिसरान तारााराम 3 मोहनराम 4 सिमर्थाराम 5 मांगाराम पिसरान सोनाराम 6 हस्तु पत्नी सोनाराम जाति कुमावत निवासी नारणाणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर 7 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाड़मेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :— 59 / 2020

निर्णय दिनांक :— 16/12/20.........

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ....16/12/20..... को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :—

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा भाडखा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 613 / 439 रकबा 48.17 बीघा, खसरा संख्या 620 / 430 रकबा 57.14 बीघा कुल रकबा 106.11 बीघा भूमि तथा मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 833 / 750 रकबा 116.08 बीघा भूमि तथा मौजा नारणाणियों की ढाणी पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 135 / 110 रकबा 89.15 बीघा भूमि तथा मौजा खारिया तला पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 751 / 576 रकबा 77.18 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 मेहराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करे।

यह आज तारीख ......16/12/20......... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

(रोहित चौहान)
पीठासन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:02 IST
Reason: Self Attested

वाद के खर्च

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	